संख्या-85/2020/1219/26-3-2020

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 16 जून 2020

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चैकी लखीमपुर खीरी के अधीन लाइब्रेरी के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-15 /58/ज.जा.वि./2020-21, दिनांक-12.05.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4225-02-796-0104-24- वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रूपया-1713.00 लाख के सापेक्ष एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चैकी लखीमपुर खीरी के अधीन लाइब्रेरी के संचालन हेतु **रू0-13.11 लाख (रू0 तेरह लाख ग्यारह हजार मात्र)** की श्री राज्यपाल निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-व्यय की गयी धनराशि का लाभ नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को ही दिया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4)-गत वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक प्रगति की सूचना के साथ उपभोग प्रमाणपत्र यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 एवं 11 अप्रैल,2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रायोजित योजनायें -0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये जिला इकाइयों के संचालन हेतु अनुदान-24-वृहत निर्माण के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-387, दिनांक-15 जून, 2020 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ.संख्या-85/2020/1219(1)/26-3-2020 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी।
6. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।